बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(नजारत शाखा)

दूरभाष सं0- 06189 - 223241(O)
फैक्स सं0- 06189 – 223301
email - dm-bhabhua.bih@nic.in

जिला अतिथि गृह को आउटसोर्सिंग के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–20/जि0अ0गृ0–02–01/ 2013 सा0प्र0 7648, पटना दिनांक–03.09.2020 में निहित आदेश के आलोक में कैमूर जिला अन्तर्गत पुराने एवं नये अतिथि गृहो (सर्किट हाउस) कैमूर कुल कमरे– (07+08=15) आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालन करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान से **दिनांक–08.02.2021 के अपराह्न 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है** तथा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदादाता को स्वयं या उनके प्रतिनिधि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना होगा।

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) दो लिफाफा प्रणाली में होगी।

तकनीकी लिफाफा में निम्न कागजात आवश्यक है:–

(i) संस्था/प्रतिष्ठान का वार्षिक Turn Over की राशि विगत तीन वित्तीय वर्षो में प्रति वर्ष कम से कम 25,00,000=00 (पच्चीस लाख) रू0 होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ii) GST Number, Pan Number, Aadhar संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षो का ITR संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iv) House Keeping का न्यूनतम 03 (तीन) वर्षो का अनुभव प्रमाण–पत्र।

(v) पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

(vi) काली सूची में शामिल नही होने संबंधित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।

(vii) विगत तीन वित्तीय वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(viii)निविदादाता को अपने निविदा के साथ जमानत के रूप में जिला पदाधिकारी, कैमूर के पदनाम से कैमूर स्थित भारतीय स्टेट बैंक, भभुआ पर भुगतेय 50,000=00 (पचास हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। असफल निविदाताओं का बैंक ड्राफ्ट एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दिया जायेगा।

वित्तीय लिफाफा में निम्न कागजात आवश्यक है:–

(i) निविदादाता को सेवायें देने के एवज में मासिक राशि Quote करना होगा।

निविदादाता के दायित्व :–

1. सफल निविदाता का बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि के रूप में जिला नजारत शाखा में जमा रहेगा। निविदा की शर्त्तो का अनुपालन नही कर पाने की स्थिति में जमानत की राशि जप्त कर निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
2. आउटसोर्सिंग में अतिथि गृहों का आन्तरिक साफ–सफाई शामिल होगा। जिसके अन्तर्गत कमरो एवं पूरे परिसर की सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन करनी होगी।
3. जिला अतिथि गृहो के लॉन बागीचा आदि की साफ–सफाई एवं रख–रखाव बगीचा में फूल एवं घास आदि का रख–रखाव।
4. हाउस किपिंग से संबंधित निम्नलिखित कार्य शामिल होगें :–
   (क) जिला अतिथि गृहो में लगे इलेक्ट्रानिक्स एवं विद्युतीय उपकरणो का रख–रखाव।
   (ख) जिला अतिथि गृहो में फर्नीचर आदि की मरम्मती एवं रख–रखाव।
   (ग) जिला अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुए यथा साबुन तेल शेम्पू 02 (दो) तौलिया, चप्पल, ब्रश, जिभी, कंघी, पाउडर, स्प्रे, हैंड वास, सेनिटाईजर, गुड नाईट, रूम स्प्रे आदि की आपूर्ति।

Tender

(घ) जिला अतिथि गृह में बेडसीट, मच्छरदानी, तकिया, इत्यादि की आपूर्ति एवं बेडसीट मच्छरदानी तकिया का खोल का अतिथि के रहने पर प्रतिदिन सफाई एवं धुलाई।

5. निर्वाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर सहित)।
6. अतिथियों के लिए चाय नाश्ता एवं भोजन के लिए निविदा में मेनू एवं दर अंकित करेंगे तथा निर्धारित दर पर ससमय उसकी आपूर्ति करना साथ ही अल्पाहार एवं भोजन बनाने एवं खिलाने के लिए सभी बर्त्तनो के क्राकरी की व्यवस्था करना होगा।
7. जिला अतिथि गृह में चाय नाश्ता एवं भोजन आदि से होने वाली आय संचालन संस्था को दी जा सकेगी।
8. जिला प्रशासन, कैमूर की ओर से दो केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा। जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
9. जिला अतिथि गृह कमरो का आरक्षण पूर्वतः जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।
10. काली सूची में दर्ज संस्था/प्रतिष्ठान के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
11. निविदा सफल होने के पश्चात संस्था को कोई अग्रिम देय नही होगा।
12. सफल निविदादाता के साथ पहले 01 (एक) वर्ष के लिए एकरारनामा किया जायेगा और सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर उसे अगले वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। अवधि विस्तार 03 (तीन) वर्षो तक के लिए किया जा सकेगा।
13. चयनित ऐजेन्सी की सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर उसका एकरारनामा रद्द करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
14. चयनित ऐजेन्सी को जिला क्रय समिति के द्वारा निर्धारित मेनू एवं दर पर चाय, नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराना होगा।
15. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त शर्तें मॉडल स्वरूप है इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा।

निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथो–हाथ जिला नजारत शाखा (समाहरणालय, कैमूर (भभुआ) में समर्पित करने की अंतिम तिथि **08.02.2021** है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा को **दिनांक–08.02.2021 के 04:00 बजे अपराह्न** में समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस निविदा को वेबसाईट http:/ kaimur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ)	अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ)	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)